



2026:AHC-LKO:20829

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****रिट-सी संख्या - 1006033 वर्ष 2013**

ज्योत्सना एवं अन्य

....

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

जिला न्यायाधीश सीतापुर एवं अन्य

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: हरिओम सिंह, प्रदीप कुमार मिश्र

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मनीष कुमार, भोज राज सिंह

**न्यायालय संख्या-4****माननीय न्यायमूर्ति इरशाद अली**

1. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री भोज राज सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 एवं 3 तथा प्रतिवादी संख्या 3 सगी बहनें हैं तथा श्री कृष्ण मोहन तिवारी की पुत्रियां हैं जो सिद्धौली टाउन, परगना एवं तहसील सिद्धौली, जनपद सीतापुर स्थित मकान के स्वामी थे। वर्ष 2009 में उपर्युक्त मकान के विभाजन एवं स्वामित्व के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी-ज्योतिका ने उक्त मकान में 1/5वां अंश होने का दावा किया तथा सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), सीतापुर के न्यायालय में दीवानी वाद संख्या 417 वर्ष 2009 दाखिल किया, जिसमें संपत्ति में अपने 1/5वें अंश के संबंध में विभाजन की डिक्री हेतु प्रार्थना की। वाद में उसने उत्तराधिकार के आधार पर 1/5वें अंश का दावा किया।

3. याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त वाद में अपना लिखित कथन दिनांक 17.08.2009 को दाखिल किया। वाद में वाद बिन्दु दिनांक 18.02.2010 को विरचित किए गए। तत्पश्चात् प्रतिवादी-ज्योतिका, जो वाद की वादिनी है, ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि दिनांक 10.10.2003 की वसीयत द्वारा कृष्ण मोहन तिवारी ने वादिनी ज्योतिका तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्रत्येक को 1/5वां अंश प्रदान किया है। तत्पश्चात् वादिनी तथा प्रतिवादियों के साक्ष्य समाप्त कर दिए गए और वाद को बहस हेतु नियत किया गया। दिनांक 23.01.2013 को वादिनी ज्योतिका ने अतिरिक्त साक्ष्य हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया, यह अभिकथित करते हुए कि त्रुटिवश वह दिनांक 10.10.2003 की वसीयत को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी।

4. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) ने दिनांक 23.01.2013 के आदेश द्वारा वादिनी के आवेदन को स्वीकार किया तथा उसे अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की। उक्त से आहत होकर याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.01.2013 के आदेश की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 01.03.2013 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया तथा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति वापस ले ली गई और वाद को अंतिम बहस हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी-ज्योतिका ने

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक 01.03.2013 के आदेश के विरुद्ध जनपद न्यायाधीश, सीतापुर के न्यायालय में सिविल पुनरीक्षण संख्या 14 वर्ष 2013 दाखिल किया, जिसे दिनांक 31.07.2013 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी-ज्योतिका को प्रकरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

5. जनपद न्यायाधीश, सीतापुर द्वारा पारित दिनांक 31.07.2013 के प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका इस आधार पर दाखिल की गई है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधि की स्पष्ट त्रुटि की है। अतिरिक्त साक्ष्य पर विचार करने हेतु सिविल न्यायाधीश का आदेश एकपक्षीय प्रकृति का था तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उक्त आदेश को वापस लिया गया, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल किया गया।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुनरीक्षण न्यायालय (जनपद न्यायाधीश, सीतापुर) ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधि की स्पष्ट त्रुटि की है, जिसके द्वारा दिनांक 23.01.2013 को प्रकरण में पारित एकपक्षीय आदेश के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। अगला तर्क यह है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पूर्णतः त्रुटिपूर्ण एवं भ्रान्तिपूर्ण ढंग से पारित किया है, बिना इस तथ्य पर विचार किए कि आदेश एकपक्षीय प्रकृति का है तथा याचिकाकर्ता को सुने बिना पारित किया गया है। अगला तर्क यह है कि यदि पुनरीक्षण न्यायालय इस सीमा तक संतुष्ट था कि आदेश एकपक्षीय प्रकृति का है, तो प्रकरण को सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के पास प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए था, ताकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार किया जा सके। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) ने दिनांक 23.01.2013 के आदेश को वापस लेते हुए याचिकाकर्ताओं के वापसी आवेदन को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका इस कारण निष्प्रभावी हो गई है कि प्रकरण में वसीयत प्रमाणीकरण वाद विचाराधीन है और वह पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करेगा, अतः इस आधार पर ही रिट याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। अगला तर्क यह है कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी दोष या अवैधता से ग्रस्त नहीं है तथा न्यायोचित एवं वैध आदेश है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंदी तर्क को सुनने के पश्चात्, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

9. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मकान के विभाजन एवं स्वामित्व के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त मकान में 1/5वां अंश होने का दावा किया तथा सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के न्यायालय में वाद संख्या 417 वर्ष 2009 दाखिल किया, जिसमें संपत्ति में 1/5वें अंश के संबंध में विभाजन की डिक्री हेतु प्रार्थना की। याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त वाद में अपना लिखित कथन दाखिल किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 23.01.2013 को अतिरिक्त साक्ष्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, यह अभिकथित करते हुए कि त्रुटिवश वह दिनांक 10.10.2003 की वसीयत को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी।

10. दिनांक 23.01.2013 के एकपक्षीय आदेश द्वारा सिविल न्यायाधीश ने वादिनी के आवेदन को स्वीकार किया तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उसे अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की। उक्त से आहत होकर याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त आदेश की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 01.03.2013 के आदेश द्वारा वापसी हेतु आवेदन को स्वीकार किया गया तथा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति वापस ले ली गई और वाद को अंतिम बहस हेतु नियत किया गया।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. मेरे विचार में, सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश वैध है तथा किसी भी दोष या अवैधता से ग्रस्त नहीं है, अतः अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने वाला आदेश पूर्णतः अनुचित है तथा किसी भी युक्तिसंगत आधार से रहित है। सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) ने दिनांक 23.01.2013 के आदेश को वापस लेते हुए याचिकाकर्ताओं के वापसी हेतु आवेदन को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। पुनरीक्षण न्यायालय को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करते हुए यह आदेश पारित करना चाहिए था कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अतिरिक्त साक्ष्य सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया आदेश पूर्णतः अधिकार क्षेत्र के अभाव में पारित तथा अवैध प्रकृति का है।

12. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह बिंदु कि रिट याचिका निष्प्रभावी हो गई है, पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है। पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश यथावत् प्रभावी है और वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है, अतः प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क भ्रांतिपूर्ण है और एतदपश्चात् अस्वीकृत किया जाता है। रिट याचिका अभी भी प्रभावी है तथा चुनौती दिया गया आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

13. उपर्युक्त अभिलिखित कारणों के परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 31.07.2013 का प्रश्नगत आदेश प्रत्यक्षतः अवैध होने के कारण एतदपश्चात् निरस्त किया जाता है। रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है, प्रकरण को संबंधित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के पास प्रत्यावर्तित किया जाता है ताकि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में दोनों पक्षकारों को सुनकर प्रकरण निर्णीत किया जाए।

( न्यायमूर्ति इरशाद अली)

23 मार्च, 2026

गौतम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।